

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
बुधवार 17 जून, 1998 / ज्यैष्ठ 27, 1920 शक

संख्या : 407

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 12.6.98 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह सतम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री मुकेश शर्मा एवं जय किशन को उनके अन्य समर्थकों के साथ पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत संसद मार्ग से दिनांक 8.6.98 को पूर्वाह्न 11.45 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 8.6.98 को अपराह्न 12.05 बजे पुलिस धाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

Bulletin Part-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Wednesday, June 17, 1998 / Jyaishta 27, 1920 (Saka)

No. 407

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Dy. Commr. of Police, New Delhi District, New Delhi on 12.6.98 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Mukesh Sharma and Jai Kishan, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at Parliament Street at 11.45 A.M. on 8.6.98.

They were released at 12.05 P.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day, i.e. 08.06.1998."

P.N. GUPTA
SECRETARY